



बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15



पत्रांक— 8 बजट (1) 17/2025.....162 आ०

दिनांक— 24/02...../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड 02-2403007890111 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0130 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹2,68,04,600/- (दो करोड़ अड़सठ लाख चार हजार छह सौ) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2862 दिनांक 26.06.2025 के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 2,68,04,600/- (दो करोड़ अड़सठ लाख चार हजार छह सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैं।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0101 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना विपत्रकोड 02-2403001010101, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0111 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड 02-2403007890111 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 0130 अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्रकोड 02-2403007960130 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य स्कीम के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, बिहार के अधीनस्थ पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि० दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

ज्ञाप संख्या- 8 बजट (1) 17/2025..... 162 एन०/ आ०/

निदेशक, पशुपालन।
पटना-15, दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या-टी०ए०-57-96-97-प०पा०-9-46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम०-405/98 पार्ट-3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा-09/योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

विभागीय राज्यादेश संख्या 2862 दिनांक 26.06.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-02, राज्य स्कीम के तहत विपत्र कोड-02-2403001010101, 02-2403007890111 एवं 02-2403007960130 के अन्तर्गत पशु चिकित्सालयों/ औषधालयों में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर होने वाले व्यय हेतु आवंटन की विवरणी :-

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	02-2403001010101			02-2403007890111			02-2403007960130			कुल आवंटित राशि
		13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना	8,12,800	2,45,700	10,58,500	57,700	26,100	83,800	11,500	16,000	27,500	11,69,800
2	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा	6,13,000	1,74,800	7,87,800	43,500	18,600	62,100	8,700	11,400	20,100	8,70,000
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर	4,37,700	1,32,400	5,70,100	31,100	14,100	45,200	6,200	8,700	14,900	6,30,200
4	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर	3,47,900	99,300	4,47,200	24,800	10,500	35,300	4,900	6,500	11,400	4,93,900
5	जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास	5,78,300	1,74,800	7,53,100	41,100	18,500	59,600	8,200	11,000	19,200	8,31,900
6	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमुर	3,64,500	1,04,000	4,68,500	26,000	11,000	37,000	5,100	6,700	11,800	5,17,300
7	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया	9,41,000	2,64,600	12,05,600	66,800	28,000	94,800	13,200	17,200	30,400	13,30,800
8	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद	2,85,600	80,300	3,65,900	20,300	8,600	28,900	4,100	5,200	9,300	4,04,100
9	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल	1,68,000	47,400	2,15,400	12,000	5,100	17,100	2,400	3,100	5,500	2,38,000
10	जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद	5,88,000	1,65,300	7,53,300	41,700	17,400	59,100	8,200	10,500	18,700	8,31,100
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा	6,38,500	1,79,500	8,18,000	45,400	19,000	64,400	9,000	11,500	20,500	9,02,900
12	जिला पशुपालन पदाधिकारी, छपरा	7,22,500	2,03,200	9,25,700	51,300	21,400	72,700	10,200	13,200	23,400	10,21,800
13	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान	5,54,400	1,55,900	7,10,300	39,400	16,400	55,800	7,800	10,100	17,900	7,84,000
14	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज	4,36,800	1,22,900	5,59,700	31,000	13,000	44,000	6,200	8,000	14,200	6,17,900
15	जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा	5,20,800	1,46,500	6,67,300	37,000	15,400	52,400	7,400	9,500	16,900	7,36,600
16	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधुबनी	7,56,100	2,12,600	9,68,700	53,700	22,400	76,100	10,700	13,600	24,300	10,69,100
17	जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर	6,72,100	1,89,000	8,61,100	47,500	20,100	67,600	9,500	12,200	21,700	9,50,400
18	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय	4,53,600	1,27,500	5,81,100	32,200	13,400	45,600	6,400	8,200	14,600	6,41,300
19	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	6,38,500	1,79,500	8,18,000	45,100	19,000	64,100	9,000	11,600	20,600	9,02,700
20	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी	7,73,000	2,17,300	9,90,300	54,900	23,000	77,900	10,900	14,100	25,000	10,93,200
21	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	5,04,000	1,41,700	6,45,700	35,700	15,000	50,700	7,100	9,200	16,300	7,12,700
22	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शिवहर	1,17,600	33,100	1,50,700	8,300	3,600	11,900	1,700	2,200	3,900	1,66,500
23	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेतिया	7,22,500	2,03,200	9,25,700	51,200	21,400	72,600	10,200	13,200	23,400	10,21,700

३०

162 एन०/भा०
24/02/2026 -

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	13 01 कार्यालय व्यय	21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	कुल आवंटन	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली	3,86,500	1,08,800	4,95,300	27,400	11,400	38,800	5,500	7,100	12,600	5,46,700
25	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा	4,03,300	1,13,300	5,16,600	28,600	12,000	40,600	5,700	7,300	13,000	5,70,200
26	जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल	5,20,900	1,46,400	6,67,300	36,900	15,500	52,400	7,400	9,600	17,000	7,36,700
27	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा	4,20,000	1,18,100	5,38,100	29,800	12,500	42,300	6,000	7,700	13,700	5,94,100
28	जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर	6,05,000	1,70,000	7,75,000	42,900	18,100	61,000	8,600	11,000	19,600	8,55,600
29	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर	3,36,000	94,400	4,30,400	23,900	10,100	34,000	4,800	6,200	11,000	4,75,400
30	जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका	5,04,000	1,41,600	6,45,600	35,800	15,100	50,900	7,100	9,300	16,400	7,12,900
31	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई	3,69,700	1,04,000	4,73,700	26,300	11,100	37,400	5,200	6,800	12,000	5,23,100
32	जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय	2,52,100	70,900	3,23,000	17,900	7,600	25,500	3,600	4,700	8,300	3,56,800
33	जिला पशुपालन पदाधिकारी, शेखपुरा	2,85,700	80,400	3,66,100	20,300	8,600	28,900	4,100	5,300	9,400	4,04,400
34	जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया	3,86,500	1,08,800	4,95,300	27,500	11,500	39,000	5,500	7,100	12,600	5,46,900
35	जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	6,05,000	1,70,000	7,75,000	43,000	18,000	61,000	8,600	11,000	19,600	8,55,600
36	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार	4,70,500	1,32,400	6,02,900	33,500	14,000	47,500	6,700	8,700	15,400	6,65,800
37	जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज	3,36,100	94,600	4,30,700	23,900	10,000	33,900	4,800	6,200	11,000	4,75,600
38	जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया	3,86,500	1,08,800	4,95,300	27,500	11,500	39,000	5,500	7,100	12,600	5,46,900
योग :-		1,89,15,000	53,63,000	2,42,78,000	13,42,900	5,68,000	19,10,900	2,67,700	3,48,000	6,15,700	2,68,04,600

रूपये 2,68,04,600/- (दो करोड़ अड़सठ लाख चार हजार छह सौ)

निदेशक, पशुपालन